# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

| क्र. सं. | अपील संख्या | अपीलार्थीगण का नाम | प्रत्यर्थी विभाग |
|---|---|---|---|
| 1. | 541/2022 | मोहन श्रीवास्तव | 1. राजस्थान राज्य जरिये सचिव, स्थानीय निकाय विभाग, सचिवालय, जयपुर, राजस्थान।<br>2. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जी–3, राजमहल रेजिडेंसियल ऐरिया, सी–स्कीम, जयपुर।<br>3. आयुक्त, नगर निगम अजमेर, वार्ड न. 52, पृथ्वी राज मार्ग, चुड़ी बाजार, अजमेर। |
| 2. | 542/2022 | घनश्याम दत्त शर्मा | |
| 3. | 543/2022 | टिकम चन्द जैन | |
| 4. | 544/2022 | मुकेश शर्मा | |

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 25.02.2022
**आदेश की दिनांक** : 13.08.2024

**उपस्थित –**
अपीलार्थी की ओर से : श्रीमती दिप्ती जैन, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : अनुपस्थित

**समक्षः– चेतन राम देवड़ा, सदस्य**
**लेखराज तोसावड़ा, सदस्य**

## आदेश

उपर्युक्त तालिका में अंकित समस्त अपीलों में चुनौती का आधार एवं तथ्यात्मक स्थिति समान होने से, न्यायहित में अपील संख्या 541/2022 मोहन श्रीवास्तव की अपील को अग्रग अपील मानकर उसके तथ्य लेते हुए, उक्त तालिका में अंकित अपीलों को एक ही आदेश से निस्तारित किया जा रहा है।

अपील के अनुसार अपीलार्थी प्रारंभ में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में नियुक्त हुआ और उसके बाद अपीलार्थी को नगर परिषद, अजमेर में हेल्पर के पद पर नियुक्त किया गया (अनुलग्नक–1)। प्रत्यर्थी विभाग का दिनांक 20.02.1986 का पत्र जिसमें हेल्पर/वायरमैन के मामले में पदोन्नति से संबंधित निर्देश जारी किए गए। (अनुलग्नक–2) जो कार्मिक उप सचिव, स्थानीय निकाय के कार्यालय के पत्र के तहत दैनिक वेतनभोगी के पद पर काम कर रहे थे, उन्हें दैनिक वेतनभोगी के रूप में विचार करने के लिए निर्देशित किया गया, जिसमें वेतन निर्धारित करने के निर्देश दिए गए, ताकि उन्हें नियमित वेतनमान पत्र दिनांक 12.05.1986 (अनुलग्नक–3) के अनुसार दिया जा सके। उसके बाद दिनांक 01.07.1986 के कार्यालय आदेश के अनुसार यह निर्देश दिया गया कि ऐसे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जिन्होंने 240 दिन पूरे कर लिए हैं, उन्हें 350–5–430 के वेतनमान पर बिजली विभाग में हेल्पर के पद पर नियुक्त किया जा रहा है। इसमें वर्तमान अपीलार्थी का नाम क्रमांक 19 पर अंकित है (अनुलग्नक–4)। अपीलार्थी की बाद में कार्यालय आदेश दिनांक 30.11.1987 के द्वारा सेवा में पुष्टि की गई। अपीलार्थी का नाम क्रमांक 19 पर अंकित है (अनुलग्नक–5)। अपीलार्थी के सेवा

में सफलतापूर्वक 9 वर्ष पूरे करने पर अपीलकर्ता को कार्यालय आदेश दिनांक 07.04.1998 द्वारा चयन वेतनमान का लाभ दिया गया। कार्यालय आदेश दिनांक 07.04.1998 के तहत अपीलार्थी को 975–1720 रुपये का वेतनमान प्रदान किया गया (अनुलग्नक–8)। अपीलार्थी का नाम उक्त कार्यालय आदेश के क्रमांक 17 पर अंकित है। अजमेर नगर पालिका (अब नगर परिषद, अजमेर) के लिए लाइनमैन/वायरमैन के कुल 8 पदों पर व्यक्तियों को प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने के लिए थे (अनुलग्नक–9)। अपीलार्थी ने वर्ष 2006 में सेवा में 18 वर्ष पूरे कर लिए और मांग की कि उसे 5000–100–8000 के वेतनमान में 18 वर्ष की सेवा पूरी करने पर चयन वेतनमान का लाभ दिया जाए, जबकि अपीलार्थी को अन्य समान स्थिति वाले व्यक्तियों के साथ केवल 4000–100–6000 रुपये के वेतनमान में चयन स्केल का लाभ दिया गया। संबंधित अधिकारियों को 5000–100–8000 के वेतनमान की मांग के संदर्भ में अपीलार्थी द्वारा भेजे गए अभ्यावेदन के आधार पर संबंधित अधिकारियों ने निर्धारित किया कि अपीलार्थी और ऐसे समान स्थिति वाले व्यक्ति 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चयनित वेतनमान 5000–150–8000 रुपये के लाभ के लिए पात्र होगे, जिसे नगर परिषद, अजमेर की नोट–शीट से भी सत्यापित किया जा सकता है (अनुलग्नक–10)। उसके बाद दिनांक 02.03.2006 को कार्यालय आदेश जारी किया गया कि उक्त पद पर 7 वर्ष से अधिक का अनुभव रखने वाले वायरमैन सहायक विद्युत निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के पात्र हैं और उनकी सेवा के 18 वर्ष पूरे होने पर उन्हें 5000–150–8000 के वेतनमान के साथ द्वितीय चयनित वेतनमान दिया जा सकता है (अनुलग्नक–11)। अपीलार्थी और इसी तरह की स्थिति वाले अन्य व्यक्तियों ने सेवा में अपने 18 वर्ष पूरे कर लिए थे, तो उन्हें 5000–150–8000 का वेतनमान दिया गया, फिर प्रत्यर्थी विभाग ने संबंधित और प्रभावित पक्षों को सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना मनमाने ढंग से वसूली हेतु। 16.01.2008 के कार्यालय आदेश में अतिरिक्त भुगतान करने के लिए वसूली के निर्देश भी दिए गए (अनुलग्नक–12)। वसूली का आदेश भी जारी करने का निर्देश दिया गया, लेकिन संबंधित प्राधिकारियों द्वारा उस समय ऐसा नहीं किया गया। अपीलार्थी ने अपनी सेवा के 27 वर्ष पूरे कर लिए, फिर भी उसे तृतीय चयन वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया। अपीलकर्ता ने इसके बाद प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, लेकिन प्रत्यर्थी विभाग द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया (अनुलग्नक–13)। अपीलार्थी हेल्पर के पद पर कार्यरत था, लेकिन वह तकनीकी प्रकृति का पद था। इस प्रकार आयुक्त, नगर परिषद के कार्यालय से आधिकारिक नोट के अनुसार, अजमेर, अपीलार्थी 800–1250 वेतनमान के लिए पात्र था (अनुलग्नक–15)। नगर निगम, कोटा में लाइनमैन/वायरमैन के पद पर कार्यरत श्री खलील अहमद को विधिवत 5000–150–8000 वेतनमान का लाभ दिया गया, जैसा कि अपीलार्थी और 18 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर नगर परिषद अजमेर में अन्य समान स्थिति वाले व्यक्ति द्वारा मांग की गई, जो शुरू में हेल्पर (बिजली) और फिर लाइनमैन

के रूप में काम कर रहा था, को दिए जा रहे वेतन की प्रतियां प्रतिवादी अधिकारियों द्वारा अपीलकर्ता के साथ बनाई गई असमानता को दर्शा रही हैं। (अनुलग्नक–17)।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी को 27 वर्ष की सेवा पूरी करने पर तृतीय चयन वेतनमान का लाभ दिया जावें एंव अपीलार्थी को 5000–500–8000 रुपये के ग्रेड वेतन के साथ द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ भी दिया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के राजकीय अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि स्थानीय निकाय विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 12.05.1966 के अनुपालन में जिन विद्युत सहायकों ने अपीलार्थी के साथ दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में कार्य किया था और उन्होंने दिनांक 31.12.1982 तक 240 कार्य दिवस पूरे कर लिए थे, उन्हें कार्यालय आदेश दिनांक 01.07.1966 द्वारा वेतनमान 350–5–430 में रिक्त पदों पर हेल्पर के रूप में नियुक्त किया गया। अपीलार्थी ने अपील के शीर्षक में अपने सेवानिवृत्त पद का नाम वायरमैन के रूप में गलत उल्लेख किया है और सेवानिवृत्ति के समय अपीलार्थी के पद का नाम हेल्पर है। राजस्थान नगरपालिका (चतुर्थ श्रेणी सेवा) नियम, 1964 के प्रावधानों के अनुसार हेल्पर का पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की परिभाषा के अंतर्गत आता है और नियमों में हेल्पर के पद पर से पदोन्नति के लिए कोई निर्धारण नहीं किया गया है। अपीलार्थी ने पत्र संख्या 1318 दिनांक 07.10.1996 और पत्र संख्या 98 दिनांक 30.12.1996 के माध्यम से स्थानीय निकाय विभाग निदेशालय से अनुरोध किया है, राजस्थान सरकार विद्युत हेल्पर के पद पर कार्यरत कर्मचारियों को पदोन्नति देने हेतु नगर निगम अजमेर में लाइनमैन का एक पद तथा वायरमैन का एक पद सृजित किया गया है। निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार ने पत्र संख्या 128 दिनांक 21.01.1997 के तहत संबंधित कर्मचारियों को पदोन्नति देने के लिए भेजे गए प्रस्ताव को इस आधार पर खारिज कर दिया है कि 1964 के नियमों में कोई पदोन्नति चैनल निर्धारित नहीं है। (अनुलग्नक–आर–3/1) नगर परिषद विद्युत सहायक संघ, अजमेर ने पदोन्नति और वेतनमान प्रदान करने के लिए माननीय श्रम एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण, अजमेर के समक्ष दावा दायर किया गया और विद्वान् न्यायाधिकरण ने दलीलें सुनने और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के बाद दिनांक 12.12.2007 के अवार्ड के तहत उक्त संघ के दावे को खारिज कर दिया था। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि एक बार अपीलार्थी ने अपने प्रतिनिधि संघ अर्थात नगर परिषद विद्युत सहायक संघ, अजमेर के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी से में प्रकरण प्रस्तुत किया और उस में कोई राहत नहीं दी गई थी और अपीलार्थी ने सेवानिवृत्ति के बाद बिना किसी आधार के वर्तमान अपील दायर की है। (अनुलग्नक–आर–3/2) वित्त विभाग, राजस्थान सरकार ने अपने आदेश दिनांक 25.01.1992 और पत्र संख्या 98 दिनांक 17.02.1998 के द्वारा राज्य कर्मचारियों को उनकी 9, 18 और 27 की पूर्णता के बाद चयन वेतनमान देने के संबंध में नियम बनाए हैं। संतोषजनक सेवाएँ तथा उक्त

नियमों के अनुसार जिन पदों के लिए कोई पदोन्नति चैनल निर्धारित नहीं किया गया है, उस स्थिति में आदेश दिनांक 25.01.1992 (पैरा 5) के अनुसार यह निर्देशित किया गया है कि ये कर्मचारी चयनित वेतनमान के पृथक चयनित वेतनमान के अंतर्गत हकदार है। (अनुलग्नक–आर–3/3) अपीलार्थी ने स्थानीय निकाय विभाग द्वारा जारी पत्र दिनांक 20.02.1986 प्रस्तुत किया है। वर्तमान समय में नगर निगम, अजमेर में वायरमैन का कोई पद सृजित/गठित नहीं किया गया है। हेल्पर की पदोन्नति का प्रस्ताव विभागीय पत्र संख्या 128 दिनांक 21.01.1997 द्वारा पहले ही अस्वीकार कर दिया गया है। नगर परिषद विद्युत हेल्पर्स यूनियन, अजमेर ने श्रम एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण, अजमेर के समक्ष पदोन्नति एवं चयन वेतनमान प्रदान करने के संबंध में दावा दायर किया है तथा उक्त दावे को न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 12.12.2007 के अवार्ड द्वारा खारिज कर दिया गया है। स्थानीय निकाय विभाग के निदेशालय ने कार्यालय आदेश दिनांक 02.03.2006 के तहत विद्युत सहायकों के वेतनमान 5000–150–8000 में द्वितीय चयन वेतनमान स्वीकृत किया है। (अनुलग्नक–आर–3/5) 06 विद्युत हेल्परों का वेतनमान 5000–150–8000 स्वीकृत होने के पश्चात् अन्य विद्युत हेल्परों ने भी उक्त वेतनमान मांगा गया था और उसी के आलोक में निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग द्वारा जारी पत्र संख्या 546 दिनांक 14.05.2007 के अनुपालन में लेखाकार ने मामले की जांच की और पाया कि उक्त कर्मचारियों को दिया गया वेतनमान नियमों के प्रावधानों के विरुद्ध है और इसी कारण से उत्तरदाता प्रत्यर्थी के कार्यालय ने आदेश दिनांक 16.01.2008 के तहत उक्त कर्मचारियों को जारी 5000–150–8000 वेतनमान देने की मंजूरी को अस्वीकार कर दिया है। स्थानीय निधि लेखा विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष नगर परिषद/नगर पालिकाओं के लेखों का ऑडिट किया जाता है तथा वर्ष 2007–08 में लेखा विभाग ने उन कर्मचारियों को 5000–150–8000 वेतनमान स्वीकृत करने के संबंध में लेखा आपत्ति उठाई थी तथा उन कर्मचारियों को किए गए अवैध भुगतान की वसूली के संबंध में कई पत्र भी लिखे थे। उक्त लेखापरीक्षा आपत्ति के संबंध में विभागीय आदेश दिनांक 13.08.2015 के तहत एक जांच समिति गठित की गई है और उक्त समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:–

(i) उप निदेशक (प्रशासन), निदेशालय

(ii) वरिष्ठ लेखाकार, निदेशालय

(iii) सहायक कानून सलाहकार, निदेशालय

(iv) वरिष्ठ लेखाकार, नगर निगम, अजमेर

उक्त जांच समिति के गठन के बाद जांच समिति की दिनांक 09.09.2015 को बैठक आयोजित की गई, एजेंडा आइटम नंबर 482 दिनांक 18.09.2015 के संबंध में बैठक का कार्यवृत्त जारी किया गया। नगर निगम, अजमेर में इलेक्ट्रिक हेल्पर के

पद पर कर्मचारियों की ज्वाइनिंग तथा इलेक्ट्रिक हेल्पर से वायरमैन तथा वायरमैन से सहायक इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नति देने तथा वित्त द्वारा दिए गए विशिष्ट निर्देशों के बावजूद चयन स्केल प्रदान करने हेतु कोई प्रमोशन चैनल निर्धारित नहीं है। विभाग द्वारा आदेश दिनांक 25.01.1992 द्वारा पृथक वेतनमान के तहत ही चयनित वेतनमान दिये जाने का आदेश दिया गया। इस प्रकार जांच समिति ने 9, 18 एवं 27 चयनित वेतनमान के पुनर्निर्धारण के संबंध में निर्णय लिया था और उन कर्मचारियों के वेतनमान की पुनर्गणना की थी और कर्मचारियों को किए गए अतिरिक्त भुगतान की वसूली के संबंध में बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जाएगा और आगे उसी का निष्कर्ष, लेखापरीक्षा आपत्तियों पर निर्णय ले लिया गया। (अनुलग्नक–आर–3/7) समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुपालन में उत्तरदाता प्रतिवादी द्वारा सम्बन्धित कर्मचारियों का वेतनमान 5000–150–8000 से घटाकर 4000–100–6000 किया गया। समान स्थिति वाले कर्मचारी (हेल्पर) जो अपीलार्थी के साथ नियुक्त हुए थे, ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ के समक्ष अशोक कुमार शर्मा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य के नाम से एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 9636/2010 दायर की थी, जिसमें द्वितीय चयन वेतनमान 5000–150–8000 की मांग की गई थी और माननीय उच्च न्यायालय ने पक्षों की सुनवाई के बाद उक्त रिट याचिका को दिनांक 26.07.2010 के आदेश के तहत निम्नलिखित निर्देश के साथ निर्णीत किया –

"Without going into controversy herein on merits, this court considers it appropriate to direct the petitioners to make fresh representation espousing their grievance for grant of selection scale as claimed by them on completion of 9 & 18 years of service; and if such a representation is made, respondent-authority is expected to examine their grievance based on their service record and pass appropriate orders in accordance with law and communicate the decision within three months of the date of their representation to each of them who if feels aggrieved, will be free to avail of remedy under law."

रिट याचिका संख्या 9636/2010 के याचिकाकर्ताओं ने दिनांक 26.07.2010 के आदेश के अनुपालन में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में आयुक्त, नगर निगम, अजमेर ने 30.03.2011 को कानून के प्रावधानों के अनुसार उक्त अभ्यावेदन का निर्णय लिया तथा उक्त आवेदकों/सहायकों द्वारा दावा की गई राहत को अस्वीकार कर दिया। (अनुलग्नक–आर–3/9) लेखापरीक्षा विभाग द्वारा तैयार की गई लेखापरीक्षा आपत्ति और विभाग स्तर पर गठित समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, उत्तरदाता प्रतिवादी ने संबंधित कर्मचारियों के वेतनमान को 5000–150–8000 से संशोधित कर 4000–100–6000 कर दिया है और उसी के आधार पर अपीलार्थी का मामला पेंशन जारी करने के लिए पेंशन विभाग को भेजा गया है। अपीलार्थी और अन्य समान

स्थिति वाले कर्मचारियों को नियमित रूप से पेंशन का भुगतान किया जाता है। अतः अपील खारिज की जाने योग्य है।

अपीलार्थी द्वारा रिजोइन्डर प्रस्तुत कर अपील स्वीकार किए जाने का निवेदन किया गया।

हमने विद्वान् अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपीलों में अपीलार्थी ने द्वितीय चयनित वेतनमान ग्रेड पे 5000–500–8000 में स्वीकृत करने और 27 वर्षीय सेवा पूर्ण होने पर तृतीय चयनित वेतनमान प्राप्त करने का अनुतोष चाहा गया है। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री एवं उभय पक्षों के तर्को से स्पष्ट है कि अपीलार्थी की नियुक्ति प्रत्यर्थी विभाग में विद्युत हैल्पर के पद पर हुई थी। अपीलार्थीगण का कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग में उनसे विद्युत लाईनमेन/वायरमेन का काम लिया गया। अतः उसी अनुरूप वेतन मिलना चाहिए क्योंकि वह लाईनमेन/वायरमेन की तकनीकि योग्यता धारित करते है। उन्होंने समान कार्य समान वेतन के सिद्धान्त के आधार पर चयनित वेतनमान दिए जाने का अनुतोष चाहा है। यह निर्विवाद है कि अपीलार्थीगण विद्युत हेल्पर के पद पर नियुक्त हुए है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत कथन के अनुसार विद्युत हैल्पर का पद आईसोलेटेड पद है, जिसमें सेवा नियमों में पदोन्नति का कोई चेनल नहीं है। अपीलार्थीगण को विद्युत हैल्पर के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई है। विद्युत लाईनमेन/वायरमेन के पद पर कभी पदोन्नति प्राप्त नहीं की गई है। विद्युत हैल्पर से विद्युत लाईनमेन/वायरमेन की पदोन्नति का कोई चेनल भी नहीं है। अपीलार्थीगण विद्युत लाइनमेंन/वायरमेन के अनुसार चयनित वेतनमान चाहते है, जो नियमानुसार संभव नहीं है। इस कारण अपीलार्थी को पूर्व में द्वितीय चयनित वेतनमान 5000–500–8000 स्वीकृत किए जाने को संशोधित कर 4000–100–6000 में द्वितीय चयनित वेतनमान स्वीकृत किया गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उपलब्ध कराये दस्तावेजो के अनुसार समान बिन्दु पर महामंत्री नगर परिषद् विद्युत हैल्पर यूनियन, अजमेर द्वारा श्रम एवं ओद्यौगिक न्यायाधिकरण अजमेर के समक्ष पदोन्नति एवं चयनित वेतनमान प्राप्त करने के संबंध में प्रकरण दायर किया, जिसमें न्यायाधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 12.12.2007 द्वारा अस्वीकार किया जा चुका है। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय में भी समान बिन्दु पर सिविल रिट पिटीशन दायर की गई है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 9636/2010 में आदेश दिनांक 26.07.2010 द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया है और प्रत्यर्थी विभाग को ऐसे प्रस्तुत होने वाले प्रतिवेदन का निस्तारण करने हेतु आदेशित किया है, जिस पर नगर निगम अजमेर द्वारा अपीलार्थी के समकक्ष अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को कारण सहित

अस्वीकार किया गया है। विद्युत हेल्पर के विद्युत वायरमेन/लाइनमेन के अनुरूप चयनित वेतनमान स्वीकृत किया जाना संभव नहीं है।

उपर्युक्त तथ्यों और विधिक दृष्टि हम यह पाते है कि अपीलार्थी द्वारा अपील में उठाये गये बिन्दु के संबंध में पहले से ही श्रम एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण अजमेर एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विचारण किया जा चुका है। जहां तक किसी पद विशेष हेतु विशेष वेतन/वेतन श्रृंखला स्वीकृत किए जाने का विषय है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 8329/2011 यूनीयन ऑफ इण्डिया बनाम इण्डियन नेवी सिविलियन ऑफिसर्स एसोसियन एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 22.02.2023 में यह अभिनिर्धारित किया हैः–

**"13. In Union of India through Secretary, Department of Personnel, Public Grievances and Pensions and Anr. Vs. T.V.L.N Mallikarjuna Rao, this Court reiterated the said position: -**

**"26. The classification of posts and determination of pay structure comes within the exclusive domain of the executive and the Tribunal cannot sit in appeal over the wisdom of the executive in prescribing certain pay structure and grade in a particular service. There may be more grades than one in a particular service."**

**14. In view of the afore-stated legal position, it clearly emerges that though the doctrine "equal pay for equal work" is not an abstract doctrine and is capable of being enforced in a Court of Law, the equal pay must be for equal work of equal value. The equation of posts and determination of pay scales is the primary function of the Executive and not of the Judiciary. The Courts therefore should not enter upon the task of job evaluation which is generally left to the expert bodies like the Pay Commissions which undertake rigorous exercise for job evaluation after taking into consideration several factors like the nature of work, the duties, accountability and responsibilities attached to the posts, the extent of powers conferred on the persons holding a particular post, the promotional avenues, the Statutory rules governing the conditions of service, the horizontal and vertical relativities with similar jobs etc. It may be true that the nature of work involved in two posts may sometimes appear to be more or less similar, however, if the classification of posts and determination of pay scale have reasonable nexus with the objective or purpose sought to be achieved, namely, the efficiency in the administration, the Pay Commissions would be justified in recommending and the State would be justified in prescribing**

**different pay scales for the seemingly similar posts. A higher pay scale to avoid stagnation or resultant frustration for lack of promotional avenues or frustration due to longer duration of promotional avenues is also an acceptable reason for pay differentiation. It is also a well-accepted position that there could be more than one grade in a particular service. The classification of posts and the determination of pay structure, thus falls within the exclusive domain of the Executive, particular officer, and the Courts or Tribunals cannot sit in appeal over the wisdom of the Executive in prescribing certain pay structure and grade in a particular service."**

अतः उक्त न्याय निर्णय के दृष्टिगत अपीलार्थीगण द्वारा इस बिदु पर दायर अपील स्वीकार योग्य नहीं है। अतः उक्त विधिक स्थिति एवं तथ्यात्मक विवेचन के दृष्टिगत अपील खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जाती है।

आदेश की मूल प्रति अपील संख्या 541/2022 में एवं आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि उपर्युक्त टेबिल में अंकित अन्य समस्त अपीलों की पत्रावलियों में संलग्न की जावें।

**(लेखराज तोसावड़ा)**
**सदस्य**

**(चेतन राम देवड़ा)**
**सदस्य**